G.Notification 19th November, 2010

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 09 नवम्बर, 2010

क्रमांक – 3042/मप्रविनिआ/2010, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2) (जेडपी) सहपठित धारा 86(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) विनियम, 2008 जिसे दिनांक 7 नवम्बर 2008 को प्रकाशित किया गया, को निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है, अर्थात्:

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010

1. **प्रस्तावना (Preamble):**

आयोग द्वारा ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय (अक्षय) अपराम्परिक स्त्रोतों के संबंध में नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewal Purchase Obligations) वित्तीय वर्ष 2010–11 तक विनिर्दिष्ट किये गये थे। आयोग को विभिन्न अभिकरणों (Agencies) से सौर ऊर्जा तथा अन्य अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा उपयोग न की जा रही ऊर्जा के अधिकोषीकरण (Banking) के संबंध में संसूचनाएं तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अतएव, सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा के बारे में पृथक नवीकरणीय क्रय आबन्धन मय इसके अधिकोषीकरण की नीति (Banking Policy) के विद्यमान विनियमों के पुनरीक्षण के माध्यम से विनिर्दिष्ट किये जा रहे हैं।

2. **संक्षिप्त शीर्षक, तथा प्रारम्भ : 2.1** ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 (आरजी–33 (I), वर्ष 2010)''** कहलायेंगे।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के ''राजपत्र'' में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

2.3 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

3. **परिभाषाएं :**

(i) **''एबीटी** (Availability Based Tariff)'' से अभिप्रेत है उपलब्धता आधारित विद्युत–दर (टैरिफ);

(ii) **''अधिनियम** (Act)'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) तथा इसमें किये गये अनुवर्ती संशोधन;

(iii) ''**केन्द्रीय अभिकरण** (Central Agency)'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (National Load Despatch Centre) अथवा ऐसा अन्य अभिकरण जैसा कि केन्द्रीय आयोग समय–समय पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र (Renewable Energy Certificate) जारी करने हेतु विनिर्दिष्ट करे;

(iv) **''केन्द्रीय आयोग** (Central Commisison)'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission) जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 76 की उपधारा(1) में उल्लेखित किया गया है ;

(v) **''प्रमाण–पत्र** (Certificate)'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा इसे जारी किये जाने संबंधी निबन्धन तथा शर्तें संबंधी विनियम, यथा Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र (Renewable Energy Certificate);

(vi) ''**विद्युत सह–उत्पादन** (Cogeneration)'' से अभिप्रेत है, एक ऐसी प्रक्रिया जो एक साथ ऊर्जा के दो अथवा इससे अधिक उपयोगी प्रकारों का उत्पादन करती है (विद्युत को सम्मिलित करते हुए);

(vii) **''आयोग''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग अथवा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन;

(viii) **''वितरण अनुज्ञप्तिधारी** (Distribution Licensee)'' से अभिप्रेत है, एक अनुज्ञप्तिधारी जो उपभोक्ताओं को उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय हेतु एक वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण हेतु प्राधिकृत है;

(ix) **''वहनीय दर** (Forbearance Price)'' से अभिप्रेत है नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा इसे जारी किये जाने संबंधी निबन्धन तथा शर्तें संबंधी विनियम, यथा Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 यथा संशोधित के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित उच्चतम मूल्य दर जिसके अनुसार केवल नवीकरणीय ऊर्जा

प्रमाण–पत्रों (REC Certificates) का ही ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Exchange) पर संव्यवहार किया जा सकता है ;

(x) **''ननऊम** (MNRE)'' से अभिप्रेत है, भारत सरकार का नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy of the Government of India);

(xi) **''आबन्धित इकाई** (Obligated Entity)'' से अभिप्रेत है इकाई, जैसे कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कैप्टिव उपभोक्तागण तथा खुली पहुंच उपभोक्ता जो इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) की आपूर्ति के अधिदेशाधीन (Mandated) है;

(xii) **''खुली पहुंच उपभोक्ता** (Open Access Consumer)'' से अभिप्रेत है एक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा यथासंशोधित CERC (Open Access in Inter State Transmission) Regulation, 2000 अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2005 के अन्तर्गत खुली पहुंच का लाभ प्राप्त किया गया है तथा इनमें सम्मिलित होंगे लघु–अवधि पारेषण/वितरण उपभोक्ता जैसा कि इन्हें केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/म प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है;

(xiii) **''ऊर्जा विनिमय केन्द्र** (Power Exchange)'' से अभिप्रेत है एक ऐसा ऊर्जा विनिमय केन्द्र जो विद्युत के विनिमय (आदान–प्रदान) हेतु केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है;

(xiv) **''अधिमान्य विद्युत दर** (Preferential Tariff)'' से अभिप्रेत है राज्य आयोग द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा के क्रय हेतु लागत जमा प्रतिलाभ दर कार्यविधि (Cost plus rate of return methodology) के अनुसार निर्धारित विद्युत–दर (टैरिफ);

(xv) **''नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत** (Renewable Energy Source)'' से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्त्रोत, जैसे कि लघु जल–विद्युत (Small Hydro), लघुतम जल–विद्युत (Mini Hydro), पवन, सौर, बायोमास (Biomass), जैविक ईंधन विद्युत सह–उत्पादन (Biofuel cogeneration), शहरी/नगरपालिक अपशिष्ट तथा ऐसे अन्य स्त्रोत जैसा कि वे नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार (MNRE) द्वारा अनुमोदित हैं;

(xvi) **''राभाप्रेके** (SLDC)'' से अभिप्रेत हैं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा स्टेट लोड डेस्पेच सेंटर (State Load Despatch Centre) जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है;

(xvii) **''राज्य अभिकरण** (State Agency)'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाने वाला एक राज्यीय समन्वयन अभिकरण (Nodal Agency) अथवा अन्य कोई अभिकरण जिसे इन विनियमों के

अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रमाणीकरण तथा अनुशंसाओं हेतु पंजीकरण तथा कार्यो के उत्तरदायित्व वहन करने का अधिकार होगा;

(xviii) **''सौर पावर ऊर्जा संयंत्र** (Solar Photo Voltaic Power Plant)'' से अभिप्रेत है, एक सौर फोटो वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र जो फोटो–वोल्टीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है;

(xixi) **''रापाइ (एसटीयू)''** से अभिप्रेत है, राज्य पारेषण इकाई (State Transmission Utility);

(xx) **''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी** (Transmisson Licensee)'' से अभिप्रेत है, एक अनुज्ञप्तिधारी जो पारेषण तन्तुपथों (लाइनों) को स्थापित अथवा प्रचालित किये जाने के संबंध में उत्तरदायी है;

(xxi) **''यू आई (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज)''** से अभिप्रेत है, असूचीबद्ध विनिमय दर (Un-scheduled Interchange);

(xxii) **''वर्ष** (Year)'' से अभिप्रेत है किसी केलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी केलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

(xxiii) जब तक संदर्भ विशेष की अन्यथा अपेक्षा न हो, इन विनियमों के प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जैसा कि इन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है ।

भाग – अ

4. <u>ऊर्जा के सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा (Quantum of Purchase of Electricity from Co-generation and Renewable Sources of Energy)</u>

4.1 समस्त आबन्धित इकाइयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से, विद्युत के सह–उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, की न्यूनतम विद्युत की अधिप्राप्त (procure) की जाने वाली मात्रा जो उनकी कुल वार्षिक अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी, निम्न वित्तीय वर्षो के दौरान निम्नानुसार होगीः–

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा का विद्युत सह–उत्पादन तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत		
	सौर ऊर्जा (%)	गैर सौर ऊर्जा (%)	योग (%)
2010–11	–	0.80	0.80
2011–12	0.40	2.10	2.50
2012–13	0.60	3.40	4.00
2013–14	0.80	4.70	5.50

2014–15	1.00	6.00	7.00

4.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम क्रय अर्हताओं की आपूर्ति करते हैं तथा तत्पश्चात् भी उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सह–उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा निवेशक/विकास अभिकरण आयोग से ऐसे अतिरिक्त अधिप्राप्ति प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में सम्पर्क कर सकते हैं ।

4.3 यदि कोई आबंधित इकाई (Obligated Entity) उपरोक्त विनियम 4.1 की न्यूनतम क्रय अर्हताओं की आपूर्ति करने में सक्षम न हो तो ऐसी दशा में आबन्धित इकाई को केन्द्रीय अभिकरण (Central Agency) से ऊर्जा प्रमाण–पत्र (Energy Certificates) क्रय करने होंगे जैसा कि इसे विनियमों के भाग–ब में विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.4 आबन्धित इकाई हेतु न्यूनतम क्रय अर्हता की शर्त को आयोग द्वारा उक्त सीमा तक शिथिल किया जा सकता है जैसा कि वह युद्ध, हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा आदि जैसी आकस्मिक विशेष परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हो ।

4.5 ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सह–उत्पादन इकाइयों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति (Procurement) एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से केन्द्रीकृत रूप से आयोग द्वारा समय–समय पर उसके टैरिफ आदेश में अवधारित की गई विद्युत दर (टैरिफ) पर की जाएगी। इस प्रकार केन्द्रीकृत रूप से अधिप्राप्त की गई ऊर्जा को एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्व वर्षानुसार उनमें से प्रत्येक में कुल वास्तविक ऊर्जा आहरण के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की यह व्यवस्था अन्तरण योजना नियम, 2006 (Transfer Scheme Rules, 2006) के लागू रहने तक वैध रहेगी।

4.6 विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement - PPA) को विकास अभिकरण (Developer) तथा एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो कि बारी से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से पृष्ठ भाग से पृष्ठ भाग (Back to Back) अनुबंध करेंगे।

4.7 उपरोक्त आवंटन पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के आगामी वर्ष हेतु आवेदन में विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत क्रय की प्रस्तावित मात्रा, वितरण/खुदरा टैरिफ के अवधारण हेतु विद्युत क्रय के स्त्रोतों को दर्शाते हुए, प्रदर्शित करेंगे।

5 विद्युत सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत टैरिफ का अवधारण (Determination of Tariff of Electricity from Co-generation and Renewable Source) :

आयोग निर्दिष्ट नियंत्रण अवधि हेतु समय–समय पर विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारणा करेगा ।

6 विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement):

6.1 विद्युत क्रय अनुबंध संयंत्र के क्रियाशील होने की तिथि से न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित किया जाएगा यदि इसे अन्यथा टैरिफ आदेशों में निर्दिष्ट नही किया गया हो । तथापि, यदि विद्युत अनुज्ञप्तिधारी कम अवधि के लिये स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्षकार विक्रय द्वारा खपत के उपरान्त अपना विकल्प प्रस्तुत करता है, तो यह अनुबंध अल्पकालिक अवधि के लिये भी निष्पादित किया जा सकेगा।

6.2 विकास अभिकरणों (Developers) को, अनुबंध के निष्पादन से पूर्व समस्त वांछित वैधानिक सहमतियां, आयोग से अनुज्ञा प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए, प्राप्त करनी होंगी । ऐसी सहमति/अनुज्ञा की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि हेतु लागू होगी।

7 संयोजन तथा मीटरीकरण (Connectivity and Metering)

7.1 समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का उत्पादन तथा सह–उत्पादन, केवल छत के ऊपर स्थापित सौर पीवी तथा बायोगैस स्त्रोतों को छोडकर, राज्य ग्रिड के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित की गई तकनीकी उपयुक्तता पर आधारित, 132/33/11 केवी के वोल्टेज स्तर पर संयोजित किये जाएंगे। छत के ऊपर स्थापित सौर पीवी स्त्रोत तथा बायोगैस संयंत्रों हेतु, संयोजन न्यून वोल्टेज पर अथवा 11/33 केवी पर, जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे तकनीकी रूप से उपयुक्त माना जाए, अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

7.2 मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित विद्युत उत्पादन को अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों (सौर, पवन, बायो–ऊर्जा आदि) के माध्यम से प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के अनुसार विद्युत की निकासी (Power evaculation) परियोजना का एकीकृत भाग होगी तथा विद्युत निकासी सुविधा संबंधी समस्त व्यय विकास अभिकरण (Developer) द्वारा वहन किये जाएंगे । इस प्रकार संस्थापित की गई अधोसंरचना, भले ही इसकी लागत का भुगतान विकास अभिकरण द्वारा किया गया हो, समस्त प्रयोजनों हेतु संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी । अनुज्ञप्तिधारी इसका अनुरक्षण विकास अभिकरण के परिव्यय पर करेगा तथा अन्य किसी विकास अभिकरण से अधिपाप्त की गई विद्युत की निकासी हेतु, इस शर्त के अध्यधीन

कि इस प्रकार की गई व्यवस्था विद्यमान विकास अभिकरण(ों) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, उसे प्रयोग में लाने का अधिकार होगा।

7.3 मापन मापदण्डों हेतु उत्पादन संयंत्र स्थल पर वांछित मीटरीकरण का संस्थापन मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को मध्यप्रदेश राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी अधिसूचित की गई प्रोत्साहन नीति के अनुसार समय–समय पर जारी किये गये टैरिफ आदेशानुसार किया जाएगा।

7.4 मीटर का वाचन, तत्संबंधी वितरण अनुज्ञप्तिधारी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जैसा कि लागू हो, किया जाएगा । भुगतान हेतु देयकों के स्वीकार किये जाने के प्रयोजन हेतु, एमपी ट्रेडको द्वारा ग्रिड में अन्तःक्षेप किये गये यूनिटों हेतु संबंधित वितरण कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जाएगा।

8 विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा से नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु खुली पहुंच (Open Access for Co-generation and Renewable Sources of Energy) :

राज्य के अन्दर ऊर्जा के विद्युत सह–उत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में पर्याप्त पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन, खुली पहुंच प्रदान की जाएगी जो कि म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित राज्य में ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अध्यधीन होगी।

9 विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से अनुसूचीकरण (Scheduling of Co-generation and Renewable Sources of Energy):

ऊर्जा के विद्युत सह–उत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को ''सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धांतों (Merit Order Dispatch Principles)'' की परिसीमाओं से बाहर रखा जाएगा।

10 नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादक/विद्युत सह–उत्पादन से विद्युत प्रदाय बंद होने पर विद्युत का आहरण (Drawing power during shut down by generator/co-generation from Renewable Sources):

नवीकरणीय स्त्रोतों के संयंत्र से विद्युत तथा विद्युत सह–उत्पादन प्रदाय बंद होने के दौरान अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में इनके विकास अभिकरणों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से केवल उनके स्वयं के उपयोग हेतु ही विद्युत के आहरण हेतु प्राधिकृत किया जाएगा । उनके द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा की बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जाएगी।

11 अन्य प्रयोज्य शर्तें(Other applicable Conditions):

11.1 आयोग द्वारा भुगतान की पद्धति वह होगी जैसा कि वह समय–समय पर जारी किये गये/जारी किये जाने वाले टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो या की जाएगी ।

11.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे उपभोक्ता, जो ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, की संविदा मांग में कमी को, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित की गई म.प्र. राज्य में अपारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञेय किया जाएगा।

12. अधिकोषीकरण (Banking)

12.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत–ऊर्जा प्रदाय संबंधी सुविधा निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई जाएगीः

(i) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, ऊर्जा के अपराम्परिक स्त्रोतों से उत्पादित समस्त ऊर्जा अधिकोषीकरण (Banking) हेतु अनुज्ञेय की जा सकेगी।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में विद्युत ऊर्जा के अधिकोषीकरण के लेखे का प्रमाणीकरण, एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया जाएगा।

(iii**)** अधिकोषित की गई ऊर्जा की मात्रा की वापसी एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित समय के अनुसार की जाएगी।

(iv**)** सामान्यतः अधिकोषित ऊर्जा की वापसी दिनांक 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के मध्य 2300 बजे से 2400 बजे तक तथा 0000 बजे से 1700 बजे तक यूनिटों (किलोवाट ऑवर) की मात्रा के रूप में चक्रण प्रभारों (Wheeling charges) के प्रति 2 प्रतिशत की मात्रा घटा कर की जाएगी।

(v**)** ऊर्जा की उपलब्धता तथा रबी मौसम की मांग एवं शीर्ष मांग के समय को दृष्टिगत रखते हुए भी, अधिकोषित ऊर्जा माह नवम्बर से फरवरी के दौरान भी लौटाई जा सकेगी जैसा कि एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इसके बारे में निर्णय लिया जाए।

(vi**)** यदि वित्तीय वर्ष के अन्त में, अधिकोषित की गई विद्युत का कोई भाग असमायोजित रह जाता है तो ऐसी दशा में इस प्रकार की शेष विद्युत को क्रय की गई ऊर्जा माना जाएगा तथा इस हेतु भुगतान

वित्तीय वर्ष के अन्त में आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित दर पर अपराम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से अप्रत्याशित विद्युत प्रवाह (Inadvertent flow of energy) के रूप में किया जाएगा।

12.2 चक्रण प्रभार, प्रति सहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार तथा चक्रण प्रभारों पर प्रयोज्य प्रभार, आयोग द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय अनुसार लागू होंगे। कैप्टिव उपभोक्ताओं तथा खुली पहुंच उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से अधिप्राप्त की गई ऊर्जा के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।

भाग – ब

13. **<u>नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation)</u>** :

13.1 नवीकरणीय क्रय आबन्धन जैसा कि इसे पूर्व में विनियम 4.2 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया है, आबन्धित इकाईयों द्वारा सदैव विशिष्ट प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति, यदि कोई हो, हेतु आरक्षित रखी जाएगी तथा आवश्यकतानुसार इसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की ओर, केवल अस्थाई आधार पर व्यपवर्तित (divert) किया जा सकेगा तथा यह भी कि इस स्त्रोत से उपलब्ध समस्त ऊर्जा को क्रय किया जाएगा जब तक यह पूर्व में उल्लेखित प्रतिशत तक न पहुंच जाए तथा यदि फिर भी तत्पश्चात पूर्व में निष्पादित किये गये विद्युत क्रय अनुबन्धों (Power Purchase Agreements-PPA) जिनके संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में सहमति व्यक्त की गई है, के अन्तर्गत की गई ऊर्जा क्रय बचनबद्धता पर विचार करते हुए, कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्रय, कुल नवीकरणीय क्रय आबन्धन (RPO) से अधिक हो जाता हो ।

13.2 इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा को क्रय करने संबंधी इस प्रकार की बचनबद्धता में क्रय, यदि कोई हों, शामिल होंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से आबंधित इकाईयों द्वारा पूर्व से ही निष्पादित किये जा रहे है।

13.3 इस विनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऊर्जा के इस प्रकार के क्रय भारत सरकार नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्त्रोतों से ही किये जाएंगे।

13.4 नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के क्रय बाबत, पूर्व में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्धों के अन्तर्गत विद्युत का क्रय, जिसके बारे में आयोग द्वारा पूर्व से ही सहमति व्यक्त की गई है, उनका क्रय उनकी वर्तमान वैधता तक जारी रखा जाएगा, यदि इस प्रकार के निष्पादित विद्युत क्रय अनुबन्ध उपरोक्त उल्लेखित निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक भी हों ।

14 **<u>केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र (Certificates under the Regulations of the Central Commission)</u>**

14.1 इन विनियमों की निबन्धन तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता तथा इन्हें जारी किये जाने के संबंध में जारी विनियम, यथा, (Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्रों को आबन्धित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत क्रय के संबंध में उनके अधिदेशित प्राप्त दायित्वों के संबंध में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निर्वहन हेतु एक वैध विलेख के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ।

14.2 ऐसे दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएं, इन विनियमों के अन्तर्गत आबन्धित इकाईयां नवीकरणीय क्रय आबन्धन के परिपालन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों की अधिप्राप्ति के संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम, यथा (Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 के अनुरूप कार्यवाही करेंगी ।

14.3 आबन्धित इकाईयों द्वारा ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Excharge) से क्रय किये गये प्रमाण–पत्र केन्द्रीय आयोग के विनियमों की शर्तों के अनुसार आयोग के समक्ष क्रय के 15 दिवसों के अन्दर प्रस्तुत किये जाएंगे।

15 चूक का प्रभाव (Effect of Default)

15.1 ऐसी दशा में, जबकि आबन्धित इकाईयॉ ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Exchange) से इन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा क्रय करने के आबन्धन के अधिदेश (mandate) की पूर्ति नही करती हैं, तोः

(i) आयोग आबन्धित इकाई को एक पृथक निधि (Fund) जमा करने बावत निर्देशित कर सकेगा जिसका संधारण आबन्धित इकाई द्वारा किया जाएगा, जो ऐसी राशि होगी जिसका निर्धारण आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों के क्रय हेतु उक्त सीमा तक नवीकरणीय क्रय आबन्धन मे यूनिटों की कमी के तथा प्रमाण–पत्रों की वहनीय दर (Forbearance Price) के आधार पर, जो उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक होगा, किया जाएगा जैसा कि इसके संबंध में आयोग द्वारा आंशिक रूप से प्रमाण–पत्रों के क्रय हेतु तथा आंशिक रूप से पारेषण अधोसंरचना के विकास के लिये विद्युत उत्पादक स्टेशनों से ऊर्जा की निकासी के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित निर्देशित किया जाए ।

बशर्ते आबन्धित इकाईयों को उपरोक्त कण्डिका (i) के अनुसरण में, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना सृजित निधि के उपयोग हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

(ii) आबन्धनों को परिपूर्ण किये जाने संबंधी कमी की सीमा के अधीन, आयोग राज्य–समन्वयन अभिकरण (State nodal agency) के किसी अधिकारी को ऊर्जा विनिमय केन्द्र (Power Exchange) से निधि की राशि में से वांछित प्रमाण–पत्रों की संख्या अधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

15.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्देशित राशि को संसूचित तिथि से 15 दिवस की अवधि के अन्दर जमा करने में असफल रहता है, तो इसे अनुज्ञप्ति शर्त का उल्लंघन माना जाएगा ।

15.3 इसके अतिरिक्त, जहां कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा इन विनियमों का परिपालन किया जाना अनिवार्य है, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के माध्यम से वांछित ऊर्जा का प्रतिशत क्रय करने में असफल रहता है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत अर्थदण्ड (penalty) का भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा इसके बारे में विनिश्चय किया जाए।

भाग – स

16 संशोधन हेतु शक्ति

16.1 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबंधों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

16.2 किसी विवाद की दशा में, मामले को आयोग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जिसका इस बारे में निर्णय अन्तिम होगा ।

17 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

आयोग किसी स्वप्रेरणा द्वारा अथवा विद्युत सह–उत्पादन अथवा नवीकरणीय स्त्रोत अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त किसी आवेदन पर इन विनियमों की समीक्षा कर सकेगा तथा इन विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को हटाये जाने बावत् समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

18 व्यावृत्ति

18.1 इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्धेश्य प्राप्त करने अथवा आयेाग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्धेश्य से आवश्यक हो ।

18.2 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष

परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

18.3 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयेाग को विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

टीप : इस **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2010'' (आरजी–33(I), वर्ष 2010)''** के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव